



पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या Registration No.: 216

1. मेसर्स लैंडमार्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड (श्रेणी प्रत्यक्ष (जीवन एवं साधारण))  
दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

1. The Certificate of Registration of M/s. Landmark Insurance Brokers Pvt. Ltd. Category Direct (Life & General)  
Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

2. हैदराबाद में 7 दिनों अक्टूबर (माह) दो हजार इक्कीस को जारी किया गया

2. Issued at Hyderabad on 7<sup>th</sup> day of October Two Thousand Twenty one

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 13.10.2021 से 12.10.2024 तक विधिमान्य होगा।

3. This Certificate of Registration shall be valid from 13.10.2021 to 12.10.2024

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधिन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।

4. This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान Place :

हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date :

07.10.2021

आदेशानुसार  
By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For Insurance Regulatory and Development Authority of India



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

(बीमा दलाल) विनियम, 2018  
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

अनुसूची 1 - फॉर्म एल  
(विनियम 14(8) देखें)  
Schedule I - Form L  
(See Regulation 14(8))

पंजीकरण संख्या Registration No.: 216

1. मेसर्स लैंडमार्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. श्रेणी प्रत्यक्ष (जीवन एवं स्वास्थ्य)

दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

The Certificate of Registration of M/s. LANDMARK INSURANCE BROKERS Category DIRECT (LIFE & GENERAL)  
Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

2. हैदराबाद में 17 दिन सितंबर (माह) दो हजार चौबीस को जारी किया गया।

Issued at Hyderabad on 17<sup>th</sup> day of SEPTEMBER Two Thousand Twenty Four

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 13.10.2024 से 12.10.2027 तक विधिमान्य होगा।

This Certificate of Registration shall be valid from 13.10.2024 to 12.10.2027

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों का पालन करेगा।

This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान Place: हैदराबाद / HYDERABAD

दिनांक Date: 17.09.2024

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For Insurance Regulatory and Development Authority of India

[Signature]  
आदेशानुसार  
By Order 17/9/24